संख्या: 1505/XXVii(7)/2009

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.प्रमुख सचिव,
गृह/कार्मिक/वन
उत्तराखण्ड शासन।

2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादून दिनॉक 26मई 2009

विषय:–अखिल भारतीय सेवा/उत्तराखण्ड राज्य के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों तथा प्रतिनियुक्त पर कार्यरत कार्मिकों को वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप ऐरियर के भुगतान के विषय में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार के द्वारा दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान पुनरीक्षण हेतु भारत सरकार के द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–470 दिनांक 29 अगस्त,2008 के कम में उत्तराखण्ड राज्य के कर्मचारियों के लिये उक्त तिथि से वेतनमान पुनरीक्षण हेतु गठित छठवीं वेतन समिति की संस्तुति के कम में दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या–395/XXVii(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008, शासनादेश संख्या–27/XXVii(7)(स्प0–1)/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 के प्रस्तर–7 में वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008–2009 में ,30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है एवं शासनादेश संख्या:205/XXVii(1)/2009 दिनांक 25 मार्च 2009 के द्वारा वर्ष 2009–10 का भुगतान जुलाई,2009 के बाद किये जाने के प्राविधानों में संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:–

2– अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में वे अधिकारी जो बैंक से भुगतान प्राप्त करेगें उन्हें 40 प्रतिशत वर्ष 2008–2009 में तथा 60 प्रतिशत वर्ष 2009–2010 में ऐरियर का भुगतान प्राप्त होगा, परन्तु जो अधिकारी राज्य के कोषागारों से भुगतान प्राप्त करेगें उन्हें वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी,2009 के अन्तर्गत प्रथमतः जुलाई माह 2009 के पूर्व भुगतान नही हो पायेगा, साथ ही 30 प्रतिशत 2009–10 में तथा 30 प्रतिशत वर्ष 2010–11 में भुगतान होगा,जिससे अखील भारतीय सेवा के अधिकारियों में दो मानक हो जायेगें। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 1–4–2008 से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के द्वारा की जायेगी। अतः वर्णित स्थिति में अखिल भरतीय सेवा के सेवानिवृत्त हो गये अधिकारियों को पेंशन के अवशेष का भुगतान वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि से किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उत्तराखण्ड राज्य के जिन कर्मिकों की सेवा निवृत्ति के 6 माह या इससे कम शेष हैं और उनके जी0पी0एफ0 की कटौतियां बन्द किये जाने की प्रक्रिया उत्तराखण्ड भविष्य निधि नियमावली,2006 के अनुसार प्रचलन में है अतः ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में देय सभी अवशेष की धनराशि का भुगतान भी नकद किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि कोई कार्मिक उक्त अवशेष से अपने भवन निर्माण अग्रिम/कार अग्रिम की शेष बची किस्त /मूलधन/ब्याज का समायोजन करना आवश्यक समझता है तो वह ऐसी कटौतियां एवं आयकर की कटौती अवशेष धनराशि से करा सकता है अन्यथा नकद भुगतान किया जाय।

4- ऐसे कार्मिक जो राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे अथवा प्रभाजन के फलस्वरूप वे उत्तराखण्ड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य के लिये कार्यमुक्त हो गये हों, ऐसे प्रकरणों में दो भागों में भुगतान करने के स्थान पर समस्त अवशेष की धनराशि इस आदेश के प्रस्तर-2 व 3 की भांति वित्तीय वर्ष 2009-10 के बजट प्राविधानों के सापेक्ष यदि अब भी उत्तराखण्ड में उनके भविष्य निधि खाते हों तब उसमें स्थानान्तरण अथवा नकद भुगतान किया जाय।

उक्तानुसार की जा रही व्यवस्था के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008,दिनांक 13 फरवरी,2009 शासनादेश संख्या-25/xxvii(7)/वि0प्रति0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 एवं शासनादेश संख्याः 205/xxvii(1)/2009 दिनांक 25 मार्च,2009 के संगत प्रस्तर केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जांय।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः वि0 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल,
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड,विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड,।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।